

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.04.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के विभिन्न थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. खुशीराम पुत्र जवाहिर लाल नि० भीखमपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-124/21, 02. जंगली उर्फ जगबहादुर पुत्र कुवारे नि० करदा नई दुनिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-125/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

60 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. बालक गोड़िया पुत्र ननकू गोड़िया नि० गोड़ियन पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मंगल यादव पुत्र रामलाल नि० अहिरनपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-150/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 60 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब
02. 03 किलो यूरिया।
03. 650 ग्राम नौसादर।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित

शराब, 03 किलो यूरिया, 650 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थाना करनैलगंज में आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. उ०नि० शिवसरण गौड़।
02. साहब यादव।
03. दिलीप यादव।
04. संदीप सिंह।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 03.04.2021

थाना इटियाथोक ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामचन्द्र पुत्र तुलसीराम नि० लखनीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-117/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को पारासराय रेलवे कासिंग मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० प्रदीप कुमार सिंह।
02. हे०का० अभिमन्यु गुप्ता।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 03.04.2021

थाना वजीरगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. शौकत अली पुत्र साकिर उल्लाह नि0 ग्राम डड्या विरहमतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-126/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता—

01. हे0का0 गिरिजेश राय।

02. हे0का0 अजय गुप्ता।